न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकर नगर।

UPAN010005952026

Criminal Misc. Cases/28/2026

माला देवी बनाम सुषमा यादव
थाना–मालीपुर, जनपद अम्बेडकर नगर

10.03.2026

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत् धारा–173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया।

2. संक्षेप में प्रार्थिनी का कथन है कि घटना दिनांक 18.12.2025 समय लगभग 2 बजे दोपहर की है, प्रार्थिनी ने सुषमा यादव से कहा आप लोग रास्ता उखाड़कर रास्ते को कब्जा कर रहे हैं और इतने लोग जुटकर मुन्नी देवी को मारकर बहुत गलत किये, इस पर सुषमा यादव पत्नी गंगाराम ने प्रार्थिनी को चमाईन चमरकुट्टटी साली, जाति सूचक गाली देते हुए प्रार्थिनी को डण्डे से सिर पर मार दी, जिससे सिर फट गया और खून निकलने लगा, प्रार्थिनी जमीन पर गिर गयी। विपक्षी सुषमा प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए कई डण्डा मारी। प्रार्थिनी के हल्ला गुहार पर कुछ लोग बीच–बचाव किये, घटना की सूचना प्रार्थिनी ने स्थानीय थाने पर दिया, थाने की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया। घटना के संबंध में प्रार्थिनी थाने पर कई बार जाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया और चोटों को भी दिखाई, परन्तु थाने की पुलिस प्रार्थिनी के साथ हुई घटना को अन्य घटना का संबंध बताते हुए कहे कि तुम चोट बनाकर आयी हो, क्रास केस करवाना चाहती हो। इस प्रकार प्रार्थिनी की न तो चोटों का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और न ही प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये। प्रार्थिनी अपने शरीर पर आयी चोटों का दवा इलाज प्राइवेट डाक्टर से करवाने लगी, लेकिन चक्कर व उल्टी बंद न होने पर प्रार्थिनी जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में अपने सिर में लगी चोटों को दिखाया। जहां पर डाक्टर द्वारा दवा करते हुए सी0टी0 स्कैन कराया गया और इलाज जिला अस्पताल से आज भी चल रहा है। प्रार्थिनी घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिए रजिस्टर्ड एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2026 को प्रस्तुत किया, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थिनी मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। विपक्षी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु थानाध्यक्ष मालीपुर को आदेशित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः श्रीमान प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष मालीपुर को आदेशित करने की कृपा की जावे।

3. प्रार्थना पत्र के साथ थाने की आख्या संलग्न है जिसके अनुसार जब जांच किया

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.10 19:06:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया तो ज्ञात हुआ कि विपक्षी सुषमा द्वारा दिनांक 17.12.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/2026 अन्तर्गत धारा 191(2),115(2),352,351,76,333,324(4) बी.एन.एस. आवेदिका माला देवी के परिजनों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। आवेदिका द्वारा थाना स्थानीय पर किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और आवेदिका के कथन निराधार व असत्य है। आवेदिका द्वारा अपने बचाव के लिये प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। आवेदिका द्वारा लगाए गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

4. प्रार्थिनी/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को अगर देखा जाए तो जिसमें विपक्षी द्वारा आवेदक को जातिसूचक भद्दी भद्दी गालियां देना, डण्डे से सिर पर मारना तथा जान से मारने की धमकी दिया गया है।

5. मामले में देखा जाये तो जो थाने की आख्या आहूत हुई है उसमें उल्लिखित है कि विपक्षी सुषमा द्वारा आवेदिका माला देवी के परिजनों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। और आवेदिका के प्रार्थनापत्र के कथन निराधार व असत्य बताये गए हैं, जिससे प्रकरण में थाने द्वार जांच कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस स्तर पर देखा जाये तो प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में ओ0पी0डी0 के पर्चे दिनांकित 19.01.2026 व 23.01.2026 प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थिनी/आवेदिका ने घटना का सम्पूर्ण विवरण एवं दिनांक व स्थान आदि का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी/आवेदिका को घटना की सम्पूर्ण जानकारी है, जिसके संबंध में आवेदिका स्वयं न्यायालय के समक्ष दोषारोपण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके घटना को साबित कर सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **जोसेफ माथुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी 2001(सप्ली0)ए.सी.सी. पेज–957** तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **राम बाबू गुप्ता–बनाम–स्टेट आफ यू0पी0 2001(2) जे.आई.सी. पेज–231 (फुल बेंच)** तथा **निर्णय क्रिमिनल मिसलेनियस अपील सं0–9297/2007, सुखवासी–बनाम–स्टेट निर्णय दिनांकित 18.09.07** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि यदि न्यायालय उचित समझती है तो धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकती है तथा उस पर प्रसंज्ञान ले सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/आवेदिका माला देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाय। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक 15.04.2026 को पेश हो। प्रार्थिनी/आवेदिका गवाहान की सूची उक्त दिनांक को प्रस्तुत करें।

दिनांकः–10.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874